न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 112/2019 **दायर दिनांक :—02.08.2019**

उनवान

1. रामगोपाल आयु 48 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
2. गजानन्द आयु 44 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
3. हेमराज आयु 42 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
4. नन्दलाल आयु 40 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
5. लालचन्द आयु 37 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
6. मोहनलाल आयु 35 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
7. कजोड़ी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री छोटूलाल जाति काछी निवासीगण गोरड़ी जागीर पो0 ननावता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी :— जरिये तहसीलदार अटरू

निर्णय

दिनांकः— 30/01/2023

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादीगण उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0 टी0 एक्ट0 एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0 इस आश्य का पेश किया है कि ग्राम एवं माल गोरड़ी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में वादीगण के पिता छोटू पुत्र बाल्या जाति काछी निवासी गोरड़ी जागीर तहसील अटरू के पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा जमीन ऐलोट हुई थी जिसके गैर

खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 77 से दिनांक 08/07/1959 से आराजी दर्ज हुई थी तथा नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 27/01/1981 से खातेदारी में दर्ज हुई थी। वक्त ऐलोटमेन्ट से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता जब तक जीवित थे काश्त करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने दौराने सेटलमेन्ट पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा का नया ख0न0 580 का रकबा 1.52 है0 बनाकर वादीगण के दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के रकबा 2.40 है0 दर्ज करना चाहिए था। वादीगण के स्वामित्व की आराजी का शेष रकबा 0.88 है0, खाता संख्या 1 का ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0 बारानी प्रथम व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल 2 किता का रकबा 1.04 है0 में सम्मिलित कर राजस्थान सरकार के खाते दर्ज कर दिया। जो अवैंधानिक एवं गैर कानूनी हैं। वादीगण के पिताजी की मृत्यु हो चुकी हैं। वादीगण पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा का नया रकबा 2.40 है0 दर्ज करवाने के अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। नवीन नकल जमाबन्दी खाता संख्या 297, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 1, सेटलमेन्ट जमाबन्दी खाता संख्या 3, 308 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वादीगण के पिता के स्वामित्व की आराजी का रकबा 2.40 है0 के स्थान पर 0.88 है0 कम करके 1.52 है0 दर्ज कर देने से वादीगण को उनके पिता के ऐलोट हुई आराजी 15 बीघा का नया रकबा 2.40 है0 के स्थान पर 1.52 है0 दर्ज कर 0.88 है0 कम दर्ज करने से वादीगण को 0.88 है0 आराजी से वंचित होना पड़ रहा हैं तथा प्रतिवादी वादीगण को 0.88 है0 पर से बेदखल करने पर आमादा हैं। इसलिए यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी द्वारा किये जा रहे अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नहीं हैं। अगर प्रतिवादी अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल रहा और वादीगण को उनके कब्जे काश्त की 0. 88 है0 आराजी से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजी से वंचित होना पडेंगा जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। अस्तू वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करते हैं कि रिकॉर्ड दुरस्त कर निम्न आशय की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी पारित की जावें कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 1 का ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0 बारानी प्रथम व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल

2 किता का रकबा 1.04 है0 में से 0.88 है0 आराजी 1.52 है0 में बढ़ाकर पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा का नया रकबा 2.40 है0 दर्ज किया जावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादीगण को 0.88 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही अपने प्रतिनिधयों से करावें। इस हेतु यह वाद माननीय नयायालय में पेश किया जा रहा हैं। वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा रिकॉर्ड दुरस्त का होने से राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर यह वाद पत्र पेश किया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारीगण द्वारा वादीगण के पिता के एलोटशुदा 15 बीघा आराजी का नया रकबा 2.40 है0 दर्ज नहीं करके 0.88 है0 आराजी सरकार के खाते दर्ज कर देंने से तथा प्रतिवादी द्वारा अंतिम बार दिनांक 15/06/2019 को प्रतिवादी के विरूद्ध 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादाग्रस्त आराजी ग्राम गोरड़ी जागीर तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि–

(अ) यह कि रिकॉर्ड दुरस्त कर वादीगण को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 1 का ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0 बारानी प्रथम व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल 2 किता का रकबा 1.04 है0 में से 0.88 है0 आराजी 1.52 है0 में बढ़ाकर पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा का नया रकबा 2.40 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वादीगण को 0.88 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वंय करें न ही अपने प्रतिनिधयों से करावें।

(स) दौराने वाद प्रतिवादी वादीगण को उनके कब्जे काश्त की 0.88 है0 आराजी पर से बेदखल कर दे ंतो कब्जा पुनः वादीगण को दिलवाया जावें।

(द) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2022/3166 दिनांक 20.12.2022 से मौका रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि ग्राम गोरडीजागीर के ख0नं0 580 रकबा 1.52 है0 किस्म बारानी तृतीय जो की नन्दलाल मोहनलाल, रामगोपाल, लालचन्द, हेमराज, गजानन्द उर्फ राजेन्द्र पुत्र छोटूलाल व कजोडीबाई पुत्री छोटूलाल जाति काछी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि मौके पर काश्तकारों के द्वारा ख0नं0 580 पर रकबे 1.81 है0 पर कब्जा काश्त की जा रही है।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 रामगोपाल पुत्र छोटूलाल जाति काछी निवासी गोरडी जागीर, pw2 रमेशचन्द पुत्र भंरलाल जाति मीणा निवासी गोरडी जागीर, pw3 लालचन्द पुत्र छोटूलाल जाति काछी निवासी गोरडी जागीर, pw4 छीतरलाल पुत्र छोटूलाल जाति मीणा निवासी गोरडी जागीर, pw5 हेमराज पुत्र छोटूलाल जाति काछी निवासी गोरडी जागीर तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किये गये तथा pw3 के सशपथ बयाना दर्ज किये गये। साक्ष्यवादियों ने अपने शपथ पत्रों में सशपथ बयान किये कि ग्राम एवं माल गोरड़ी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में वादीगण के पिता छोटू पुत्र बाल्या जाति काछी निवासी गोरड़ी जागीर तहसील अटरू के पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा जमीन ऐलोट हुई थी जिसके गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 77 से दिनांक 08/07/1959 से आराजी दर्ज हुई थी तथा नामान्तकरण

संख्या 332 दिनांक 27/01/1981 से खातेदारी में दर्ज हुई थी। वक्त ऐलोटमेन्ट से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता जब तक जीवित थे काश्त करते चले आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद से ही उक्त वर्णित आराजी पर वादीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने दौराने सेटलमेन्ट पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा का नया ख0न0 580 का रकबा 1.52 है0 बनाकर वादीगण के दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के रकबा 2.40 है0 दर्ज करना चाहिए था। वादीगण के स्वामित्व की आराजी का शेष रकबा 0.88 है0, खाता संख्या 1 का ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0 बारानी प्रथम व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल 2 किता का रकबा 1.04 है0 में सम्मिलित कर सरकार के खाते दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज किया है। जिसमें हम वादीगण को हमारे स्वामित्व एवं कब्जे की 0.88 है0 आराजी से वंचित होना पड़ रहा हैं तथा प्रतिवादी हम वादीगण को 0.88 है0 पर से बेदखल करने की धमकी देता हैं। इसलिए वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी के ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0 बारानी प्रथम व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल 2 किता का रकबा 1.04 है0 में से 0.88 है0 आराजी हमारे दर्ज रकबा 1.52 है0 मे बढाकर पुराने ख0नं0 192 का रकबा 15 बीघा का नया रकबा 2.40 है0 दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह हम वादीगण को 0.88 है0 आराजी पर से बेदखल नहीं करें तथा हमारे कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें।

4. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम गोरड़ी जागीर में वादीगण के पिता छोटू पुत्र बाल्या जाति काछी निवासी गोरड़ी जागीर के पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा जमीन ऐलोट हुई जो नामान्तकरण संख्या 332 दिनांक 27/01/1981 से खातेदारी में दर्ज हुई थी। परन्तु भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट पुराने ख0न0 192 का रकबा 15 बीघा का नया ख0न0 580 का रकबा 1.52 है0 बनाकर वादीगण के दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के रकबा 2.40 है0 दर्ज करना चाहिए था। वादीगण के स्वामित्व की आराजी का शेष रकबा 0.88 है0, खाता संख्या 1 का ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0 बारानी प्रथम व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल 2 किता का रकबा 1.04 है0 में सम्मिलित कर सरकार के खाते दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अतः वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की 0.88 है0 आराजी ख0न0 1189 का रकबा 0.64 है0

व ख0न0 1191/1391 का रकबा 0.40 है0, कुल 2 किता का रकबा 1.04 है0 में से 0.88 है0 आराजी वादीगण के दर्ज कर पुराने ख0नं0 192 का रकबा 15 बीघा का नया रकबा 2.40 है0 पर खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

5. पेरोकार सरकार द्वारा अभिभाषक वादीगण की बहस का पूरजौर विरोध करते हुए लिखित बहस पेश कर कथन किया कि ग्राम गोरडीजागीर के खाता संख्या 297 में ख0नं0 580 रकबा 1.52 है0 भूमि रामगोपाल, गजानंद वगै0 जाति काछी के नाम जमाबंदी संवत 2073–76 में दर्ज खाता है तथा जमाबंदी संवत 2036–39 में खाता संख्या 208 में साबिक ख0नं0 192 की 15 बीघा भूमि छोटू पुत्र बाल्या जाति काछी के नाम गैरखातेदार दर्ज है। नामान्तरण संख्या 332 दिनांक 27.01.1981 से उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज हुई। मुताबिक जमाबंदी 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में खाता संख्या 3 में ख0नं0 580 की 1.52 है0 भूमि दर्ज खाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते में गत के मुकाबले वर्तमान में 0.88 है0 भूमि बंदोबस्त विभाग द्वारा कम दर्ज की गई है परन्तु प्रार्थीगण की कमी रकबे की पूर्ति ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 एवं 1191/1391 का रकबा 0.40 है0 से करवाना चाहते है जो सिवायचक बंजड मुताबिक जमाबंदी दर्ज खाता है मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल ख0नं0 580 रकबा 1.52 है0, साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 15 बीघा से बना है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 15 बीघा तथा ख0नं0 192 मि0 का रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा जिसके नये ख0नं0 1191/1391 की 0.40 है0, ख0नं0 1189 की 0.64 है0 बनाये गये है। इस कारण हाल ख0नं0 1191/1391 की 0.40 है0, ख0नं0 1189 की 0.64 है0 के साबिक ख0नं0 192 मि0 कि अनुसार हाल ख0नं0 का रकबा बढा हुआ नहीं है। हस कारण प्रार्थीगण रामगोपाल, रामगोपाल, गजानंद वगै0 जाति काछी के कमी रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है। अतः प्रकरण खारिज फरमावें।

6. उभय पक्षकारान की बहस के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा पेश ग्राम गोरडी की जमाबंदी संवत 2036–39 प्रदर्श 4ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि खातेदार छोटूलाल वल्द बाल्या जाति काछी को साबिक ख0नं0 192 में से 15 बीघा आराजी आवंटन की गई जो जरिये नामान्तरण संख्या 77 दिनांक 08.07.1959 से आवंटी के पक्ष में गैर खातेदारी दर्ज हुई थी। वादी द्वारा पेश इसी जमाबंदी में अंकित नोट के

अनुसार नामान्तरण संख्या 333 दिनांक 27.01.1981 से आवंटी छोटू वल्द बाल्या के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई। वादीगण द्वारा पेश ग्राम गोरडी की भू प्रबंध विभाग की जमाबंदी प्रदर्श 5 के अनुसार सेटलमेन्ट के बाद खातेदार छोटूलाल पुत्र बाल्या जाति काछी के खाते नया ख0नं0 580 रकबा 1.52 है0 दर्ज किया गया। ***यह एक निर्विवादित तथ्य है कि वादीगण के पिता छोटूलाल पुत्र बाल्या को आवंटित 15 बीघा आराजी का सेटलमेन्ट के बाद नया रकबा 2.40 है0 बनना चाहिए था लेकिन 1.52 है0 बनया गया है जो कि मूल रकबे से 0.88 है0 कम है।*** वादीगण द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7 व 8 के अवलोकन से जाहिर होता है कि साबिक ख0नं0 192 मि0 में से छोटूलाल को आंवटित 15 बीघा आराजी का नया ख0नं0 580 रकबा 1.52 है0 बनाया गया है। इसी प्रकार मूल साबिक ख0नं0 192 में से अन्य कई व्यक्तियों को भी भूमि आवंटन की गई थी।

अभिभाषक वादीगण का यह कथन कि वादीगण के पिता छोटूलाल के मूल रकबे में 0.88 है0 की कमी करके समीपवर्ती सरकार भूमि हाल ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 1191/1391 रकबा 0.40 है0 में मिला दिया गया है। इस संबंध में पेरोकार सरकार का कथन है कि हाल ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा से बनाया गया है न कि वादीगण के पिता छोटूलाल को आवंटित साबिक ख0नं0 192 मि0 15 बीघा से बनाया गया है। साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा का नया रकबा 1.81 है0 बनना चाहिए था जबकि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 0.64 है0 यानी मूल रकबे से 1.17 है0 कम कर दिया गया है। अतः हाल ख0नं0 1189 किस्म बंजड रकबा 0.64 है0 से वादीगण के रकबे की पूर्ति नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार हाल ख0नं0 1191/1391 रकबा 0.40 है0 साबिक ख0नं0 192मि0 रकबा 15 बीघा से बनाया गया है। वादीगण द्वारा पेश भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 7 व 8 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि हाल सरकारी ख0नं0 1191/1391 रकबा 0.40 है0 साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 15 बीघा से बनाया गया है लेकिन साबिक ख0नं0 192 से कई लोगो को 15–15 बीघा भूमि आंवटन की गई थी जिसमें से एक 15 बीघा आराजी के नवीन ख0नं0 580, एक 15 बीघा से हाल ख0नं0 584, व एक 15 बीघा से हाल ख0नं0 1191/1391 बनाया गया है। वादीगण के पिता छोटूलाल को आवंटित ख0नं0 192 मि0 रकबा 15 बीघा से कम हुआ रकबा 0.88 है0 को ही हाल ख0नं0 1191/1391 में ही मिलाया गया है–प्रमाणित नहीं होता है। वादीगण की आराजी का कम हुआ रकबा आस पास के खसरा नंबरों

के रकबे में ही बढाया गया होगा और वादीगण द्वारा पेश नजरी नक्शा प्रदर्श 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण के हाल ख0नं0 580 के चारों ओर ख0नं0 581, 583, 584, 1189 व 1191/1391 स्थित है। हाल ख0नं0 581 रकबा 1.24 है0 साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा व साबिक ख0नं0 481 मि0 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा से बनाया गया है अर्थात इसका रकबा सेटलमेंट के दौरान बढने के बजाया घटा है। हाल ख0नं0 583 रकबा 0.44 है0 साबिक ख0नं0 481 मि0 से बनाया गया है। हाल ख0नं0 584 रकबा 1.48 है0 साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 15 बीघा से बनाया गया है जिसका रकबा भी सेटलमेन्ट के दौरान कम दर्ज हुआ है। हाल ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 साबिक ख0नं0 192 मि0 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा से बनाकर कम रकबा दर्ज किया गया है। ***अतः स्पष्ट है कि वादीगण के मूल रकबे के साथ–साथ आसपास के खसरा नंबरों–581, 583, 584, 1189 व 1191/1391 –का रकबा भी सेटलमेन्ट के दौरान कम दर्ज किया गया है।***

वादीगण द्वारा पेश साक्ष्यगवाह पीडब्ल्यू 1 से पी.डब्ल्यू 5 के सशपथ बयान का अवलोकन किया गया लेकिन कोई भी बयान वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्य से समर्थित नहीं होते है।

तहसीलदार अटरू की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि वादीगण द्वारा मौके पर 1.81 है0 आराजी पर कब्जा काश्त किया जा रहा है अर्थात खाते के अतिरिक्त 0.19 है0 आराजी पर और कब्जा काश्त है लेकिन ख0नं0 580 के रकबे 1.52 है0 के अतिरिक्त किसकी 0.19 है0 भूमि पर कब्जाकाश्त है–उल्लेख नहीं किया गया है। यदि वादीगण द्वारा किसी पडौसी काश्तकार की 0.19 है0 आराजी पर अतिरिक्त कब्जा किया हुआ है तो वादीगण अतिक्रमी माने जायेगें। **अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रमाणित नहीं होता है।**

7. उपरोक्त विवेचन तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम गोरडी जागीर की विवादित आराजी ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 1191/1391 रकबा 0.40 है0 के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा पेश दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू की विवादित सरकारी आराजी ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 1191／1391 रकबा 0.40 है0 के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 112/2019 **दायर दिनांक :—02.08.2019**

उनवान

1. रामगोपाल आयु 48 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
2. गजानन्द आयु 44 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
3. हेमराज आयु 42 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
4. नन्दलाल आयु 40 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
5. लालचन्द आयु 37 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
6. मोहनलाल आयु 35 वर्ष पुत्र छोटूलाल जाति काछी
7. कजोड़ी बाई आयु 50 वर्ष पुत्री छोटूलाल जाति काछी निवासीगण गोरड़ी जागीर पो0 ननावता तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 आर0टी0एक्ट0</u>
<u>एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0</u>

उपस्थिति :—

वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर

प्रतिवादी :— जरिये तहसीलदार अटरू

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम गोरडी जागीर तहसील अटरू की विवादित सरकारी आराजी ख0नं0 1189 रकबा 0.64 है0 व ख0नं0 1191/1391 रकबा 0.40 है0 के संबंध में पेश वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0 सहपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 **खारिज** किया जाता है।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .... मुबालिक .... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2023 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)